न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3839–एक/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 19.09.2016 के द्वारा न्यायालय आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 466/अ–70/2014–15.

....

1–लुकडु पिता श्री परदेशी गोंड़
2–नंदलाल पिता लुकडु गोंड
3–बजरू पिता श्री खोरबहेरा
4–सम्मेलाल पिता श्री पुसू गोंड
5–नजरू पिता श्री बन्नू गोंड़
सभी निवासीगण धोबघट पटवारी
हल्का नंम्बर 37 तहसील बिरसा
जिला बालाघाट म0 प्र0

–––आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्रीमति सावित्री बाई पति श्री फत्तेसिंह गोंड
2–बेदकुमार उर्फ बेदलाल पिता श्री फत्तेसिंह गोंड
3–इंद्रकमार पिता श्री फत्तेसिंह गोंड
सभी निवासीगण धोबघट पटवारी
हल्का नंम्बर 37 तहसील बिरसा
जिला बालाघाट म0 प्र0

–––अनावेदकगण

....

श्री बृज मोहन प्रसाद, अभिभाषक, आवेदकगण
सुश्री वर्षा कोठारी, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

आदेश

(आज दिनांक 02/04/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र धारा–250 का म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत तहसीलदार बिरसा के न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किये गये है कि उनकी भूमि स्वामी हक एवं कब्जे की भूमि मौजा धोबघट की खसर नं0 54/1 रकबा 5.23 एकड़ में से 1.40 एकड़ भूमि पर आवेदकगण द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लिया है जो उन्हें वापिस दिलाये जावे। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 23/अ–70/2013–14 में दिनांक 28.01.14 को आदेश पारित कर कब्जा हटाने का आदेश पारित किया गया। जिससे परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी बैहर के न्यायालय में प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 12/अ–70/2013–14 में दर्ज होकर जिसमें पारित आदेश 12.06.15 से अपील अस्वीकृत की। इससे दुखित होकर आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 466/अ–70/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 19.9.16 को खारिज की जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि अनावेदकगण द्वारा धारा 250 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता का इस आशय का आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि वे खसरा नं0 54/1 की भूमि रकवा 5.23 एकड़ के स्वामी है एवं उनकी भूमि में से 1.40 एकड़ भूमि पर आवेदकगण ने कब्जा कर लिया है जो उन्हें वापस दिलाई जावे अपने पक्षसमर्थन में उनके द्वारा तहसीलदार से सीमांकन आदेश प्राप्त कर राजस्व निरीक्षक /पटवारी से सांठ–गांठकर जो सीमांकन करवाया गया है उसमें खसरा नं0 53 के कुछ भाग को खसरा नं0 54 का होना बताया जा रहा है जबकि खसरा नं0 54/1 का नक्शा वर्ष 1962–63 से ही दुरूस्त हैं तर्क में यह भी कहा गया है कि पूर्व में राजस्व प्रकरण कमांक 58/अ–12/1994–95 में खसरा नं0 53 के संदर्भ में आदेशित सीमांकन पंचनामा नक्शा आदि की प्रतिलिपियां इस याचिका के साथ दस्तावेज कमांक–1 के

रूप में प्रस्तुत है जो अवलोकनीय है। आवेदकगण केवल खसरा नं0 53 के रकवे में ही काबिज है न कि खसरा नं0 54/1 के किसी भाग पर अतः स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा गलत आधारों पर एवं समयावधि बाधित आवेदन पेश किया गया था जो निरस्त किये जाने योग्य है। लेखी बहस में यह भी लेख किया गया है कि निम्न न्यायालयों द्वारा तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण सावित्री बाई, बजरू आदि की साक्ष्य को अनदेखा किया गया है जिसमें साक्षियों ने शपथपूर्वक कथनों एवं प्रतिपरीक्षण में खसरा नं0 54/1 की भूमि रकवा 5.23 एकड़ पर अनावेदकगण का ही कब्जा होना स्वीकार किया है। **तहसीलदार के प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 17.1.14, 20.1.14 एवं 24.11.14 में इस बात का उल्लेख है कि आवेदकगण की ओर से साक्षियों के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये । आदेश पत्रिका दिनांक 24.1.14 में इस बात का स्पष्ट उललेख है कि सम्मेलाल उपस्थित है उसके हस्ताक्षर भी आदेश पत्रिका में है, परन्तु उसको अनुपस्थित बताकर साक्ष्य का अवसर समाप्त कर प्रकरण को बिना तर्क के लिये नियत करते हुये आदेशार्थ दिनांक 28.1.14 द्वारा नियत कर आदेश पारित कर दिया गया एवं इस तरह से उचित सुनवाई का अवसर प्रदान न करते हुये नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतों की अवहेलना की गई है,** जिससे अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह भी तर्क किया गया है कि आयुक्त द्वारा भी प्रकरण में तर्क का श्रवण नहीं किया गया है महज पक्षकारों के अधिवक्ता की उपस्थित दर्ज कर दिनांक 30.8.16 को लिया जाकर आदेश हेतु दिनांक 21.11.16 के लिये नियत किया गया लेकिन प्रकरण में आदेश दिनांक 19.9.16 को ही पारित कर दिया गया। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में लेख किया गया है कि आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण की भूमि पर कब्जा अवैधानिक रूप से कर लिया गया है जिससे उनके द्वारा म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अन्तर्गत तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये

आदेश पारित किया गया था, जिसमें अनावेदकगण के स्वत्व आधिपत्य की भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने का आदेश पारित किया गया था। आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे आदेश दिनांक 12.6.15 द्वारा निरस्त किया गया। आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त जबलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जो उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये दिनांक 19.9.16 को द्वितीय अपील निरस्त की गई। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखने का निवेदन किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण की लेखी बहस का अवलोकन किया गया। उनके द्वारा किये गये तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण सावित्री बाई, बजरू आदि की साक्ष्य को अनदेखा किया गया है जिसमें साक्षियों ने शपथपूर्वक कथनों एवं प्रतिपरीक्षण में खसरा नं0 54/1 की भूमि रकवा 5.23 एकड़ पर अनावेदकगण का ही कब्जा होना स्वीकार किया है। तहसीलदार के प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 17.1.14, 20.1.14 एवं 24.11.14 में इस बात का उल्लेख है कि आवेदकगण की ओर से साक्षियों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये । आदेश पत्रिका दिनांक 24.1.14 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि सम्मेलाल उपस्थित है उसके हस्ताक्षर भी आदेश पत्रिका में है, परन्तु उनके अधिवक्ता अनुपस्थित होने के कारण साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया है जिससे अनावेदकगण **(इस न्यायालय में आवेदकगण)** साक्ष्य से वंचित हो गये हैं। प्रकरण में बिना तर्क सुनने के पश्चात प्रकरण में पेशी नियत करते हुये आदेशार्थ दिनांक 28.1.14 द्वारा नियत कर आदेश पारित कर दिया गया एवं इस तरह से उचित सुनवाई का अवसर आवेदकगण को नहीं मिला, और वह अपना पक्ष समर्थन से वंचित रह गये। आवेदकगण के अधिवक्ता अनुपस्थित थे तो उनका साक्ष्य समाप्त नहीं करना चाहिये था, क्यों कि अधिवक्ता की त्रुटि के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जा सकता। **लक्षमण प्रसाद विरूद्व गोल्हई 1992 राजस्व निर्णय 24 पैरा 5 में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि अधिवक्ता की त्रुटि से संबंधित मामलों में पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये।**

इस ओर अनुविभागीय अधिकारी बैहर जिला बालाघाट द्वारा ध्यान न देकर तहसीलदार के आदेश की पुष्टि कर आदेश पारित किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी बैहर के आदेश को आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा स्थिर रखने में त्रुटि गई है, अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार बिरसा जिला बालाघाट के प्रकरण कमांक 23/अ–70/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 28.01.14 अनुविभागीय अधिकारी बैहर जिला बालाघाट का प्रकरण कमांक 12/अ–0/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2015 एवं आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर का प्रकरण कमांक 466/अ–70/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार बिरसा जिला बालाघाट को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह अनावेदकगण साक्षी का प्रतिपरीक्षण का (इस न्यायालय में आवेदकगण) अवसर प्रदान करते हुये विधिवत पुनः आदेश पारित करें।

(एम0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर